

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07/2014

प्रार्थी

श्री भूराराम गोदारा खाध  
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

बनाम

अप्रार्थी

मदनसिंह पुत्र कानसिंह जाति  
राजपुरोहित निवासी पटाउ तहसील  
पचपदरा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:- 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।  
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.05.2016

1- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.07.2013 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा सरकारी वाहन से कृषि उपज मण्डी बालोतरा के परिसर में खड़ी दूध से भरी पिकअप गाडी आरजे04 जीए 2474 के पास पहुँचने पर वाहन चालक मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मदनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पटाउ तहसील पचपदरा बताया। वाहन में 50-50 लीटर के दो दूध से भरे केन पाये गये। जिसे वह आम जनता को बेचने हेतु बालोतरा ले जा रहा था। दूध में मिलावट का संदेह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शीशीयों में बराबर मात्रा में भरा जिसका भुगतान 50/- अप्रार्थी मदनसिंह को किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 489 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाह ने



7N ✓  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही रूबरू गवाहो के की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-489 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, अंकित कर तैयार किया गया एवं एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ दूध(मिक्स) नमूना पी-489 की जाँच रिपोर्ट एलएस/380/एक्ट/2013/388 दिनांक 02.08.2013 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को भेजी जिस पर जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जाँच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard as it Does not conform) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ दूध(मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 489 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन एवं फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा हाजिर आये। जिन्होंने जवाब पेश कर प्रकरण में प्रथम अपराध होने से प्रकरण को लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


- 3- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है गश्त चैकिंग के दौरान दिनांक 27.03.2013 को प्रार्थी द्वारा पिकअप गाडी आरजे 04 जीए 2474 को चैक करने पर उसमें 50-50 लीटर दूध से भरे केन आम जनता को बेचने हेतु बालोतरा ले जा रहा था। उक्त दूध में मिलावट होने का संदेह होने पर उक्त दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान दूध(मिक्स)पी-489 नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) अवमानक स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
- 4- अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी गांवो से दूध मंगवाकर आगे बेचता है जॉच में विप्रार्थी का सैम्पल निर्धारित मानको पर खरा उतरा है। अप्रार्थी का उक्त प्रकरण में पहला अपराध है अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता है। इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध परिवाद समाप्त किया जाए।
- 5- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/एक्ट/380/एक्ट/2013/388 दिनांक 02.08.2013 के अनुसार अप्रार्थी के दूध संपल की नमूना जॉच रिपोर्ट में विक्रय किया जा रहा दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
- 6- अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त श्री मदनसिंह द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अभियुक्त मदनसिंह पर 5,000/- अक्षरे रूपये पाँच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट काङ्ग्रेस

स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 17.05.2016 के एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



  
(ओ०पी०बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओ०पी०बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर